बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 202 ● नई दिल्ली ● वीरवार 28 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

वीवीपीएटी पर्ची पर वोट डालने का समय दर्ज होगा या नहीं? अदालत ने चुनाव आयोग पर छोड़ा फैसला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट स्लिप पर वोट डालने का सटीक समय दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह तकनीकी विषय है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने चुनावी पारदर्शिता और विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया है, लेकिन वीवीपैट स्लिप में समय दर्ज करना तकनीकी व्यवहार्यता से जुड़ा मामला है। इसलिए इस पर फैसला चुनाव आयोग ही ले सकता है।

दिल्ली में एसआईआर के लिए 30 जून से घर-घर जाएंगे बीएलओ

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि 20 से 29 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की छपाई एसआईआर के आंतरिक कार्य के रूप में की जाएगी।

नई दिल्ली।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार ने बुधवार को बताया कि 30 जून से बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पारदर्शी तरीके से शुरू किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि 20 से 29 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की छपाई एसआईआर के आंतरिक कार्य के रूप में की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखा जाएगा और बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जानकारी सीईओ कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से साझा की जाएगी। दिल्ली के सीईओ ने कहा कि मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने में सहायता के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और विशेष शिविर स्थापित किए जाएंगे।

13000 से ज्यादा बीएलओ करेंगे गणना

मतदाताओं को गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें से एक को भरकर बीएलओ को वापस करना होगा। मतदाताओं के पास भरे हुए गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी होगी। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर की पात्रता तिथि तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी मतदाता शामिल होंगे। एसआईआर के दौरान, 13,000 से अधिक बीएलओ घर-घर जाकर गणना करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रत्येक मौजूदा मतदाता, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, को एक गणना प्रपत्र (दो प्रतियों में) दिया जाएगा, जिसे उन्हें भरकर एक प्रति बीएलओ को वापस करनी होगी। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर की जाने वाली गणना 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई को समाप्त होगी, जिसके बाद मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

यमुना किनारे अवैध निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज, अब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नई दिल्ली।

दिल्ली की यमुना बाढ़ क्षेत्र यानी ज़ोन-ओ में तेजी से फैल रहे अवैध निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ कहा कि यमुना खादर क्षेत्र में बनी रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैरकानूनी हैं. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अवैध निर्माण नहीं रुका तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एमसीडी इंजीनियरों की निगरानी में ही ताजा अवैध निर्माण हो रहा है. कोर्ट ने संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के नाम अगली सुनवाई में पेश करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यमुना बाढ़ क्षेत्र जैसेपर्यावरणीय रूप से संवेदनशील इलाके में नए निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि ज़ोन-ह्व में मरम्मत या रेनोवेशन के नाम पर भी नया निर्माण न होने दिया जाए.

सरकारी एजेंसियां आंख मूंदकर बैठी हैं

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने जगतपुर गांव, वजीराबाद, राम घाट और न्यू अरुणा नगर मजनू का टीला समेत कई इलाकों की तस्वीरें और रिपोर्ट रखी गईं जिनमें ताजा अवैध निर्माण साफ दिखाई दिया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियां आंख मूंदकर बैठी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि फिलहाल ज़ोन-ह्व की 91 अवैध कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक अस्थायी राहत मिली हुई है. यह राहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ सेकंड एक्ट 2011 के तहत दी गई है लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे वहां रहने वालों को मालिकाना हक नहीं मिलता.

केंद्र सरकार ने कहा 91 कालोनी के लिए पुनर्वास का बना रही है प्लान

केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया कि इन 91 कॉलोनियों में करीब 5 से 6 लाख लोग रह रहे हैं और लगभग एक लाख मकान बने हुए हैं. केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसियां इन लोगों के पुनर्वास और भविष्य की योजना पर विचार कर रही हैं. कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए अर्बन मिनिस्ट्री, एमसीडी और डीडीए अधिकारियों को 8 जून को बैठक करने और अवैध कब्जों व नए निर्माण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

वीर......

लाखों वर्षों में, करोड़ों पुरुषों में कोई एक वीर सावरकर जन्म लेता है। देवताओं द्वारा पृथ्वी पर बसाया हुआ पहला देश भारतवर्ष, उसमें भी मराठा वीरों का महाराष्ट्र, उसमें भी ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, उसमें भी लक्ष्मण द्वारा नासिका छेदन से प्रसिद्ध नासिक, उसमें भी भगूर, और भगूर में भी चितपावन वंश के देवतुल्य विनायक दीक्षित और उनके पुत्र दामोदर का पवित्र घर, उसी घर में सूर्य का तेज लेकर 28 मई 1883 में ईश्वरीय शक्ति संपन्न एक बालक का जन्म हुआ। जिसका नाम दादा और पिता के नाम पर विनायक दामोदर रखा गया। सावरकर उनकी पारिवारिक पहचान थी, इसलिए इस भारत के भविष्य बालक का नाम विनायक दामोदर सावरकर प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर हिंदू हृदय सम्राट और राजनीति के हिंदू सूर्य बनकर इतिहास में चमके। वीर सावरकर नाम से ही देशप्रेम जाग उठता है। इनके पिता दामोदर पंत अध्यापक और माता राधाबाई सनातन संस्कृति की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं, जो परिवार की कुलदेवी की पूजा करते समय इस बालक को साथ रखतीं तो वे बचपन में ही पूजा करना सीख गए। इनके बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर, छोटी बहन मैना और छोटे भाई नारायण सावरकर थे। 22 जनवरी 1901 में ब्रिटेन की रानी मर गई तो अंग्रेज भक्त भारतीयों ने देशभर में शोक सभा की, तो सावरकर ने कहा कि वह हमारे शत्रु देश की रानी थी। हम शोक क्यों मनाएं? उससे पहले जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला और भुखमरी से मर रहे थे, उसी समय 22 जून 1897 में दो अंग्रेज अफसर रानी के राज की हीरक जयंती मना रहे थे। तब पुणे में उन दोनों को देखकर वासुदेव और बालकृष्ण चापेकर ने उनको यमराज के हवाले कर दिया। अंग्रेजी सत्ता ने 1899 में दोनों भाइयों को फांसी दे दी। जब विनायक सावरकर को दोनों चापेकर बंधुओं की फांसी का पता लगा, तो सावरकर के दिल में देशभक्ति का ज्वालामुखी जाग उठा और उन्होंने अपनी कुलदेवी के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी भारत माता को स्वतंत्र करवाऊंगा। उनकी प्रतिज्ञा सफल हुई, अंग्रेजी राज्य समाप्त हुआ। जब विनायक बी.ए. अंतिम वर्ष में पढ़ रहे थे, उन्होंने पुणे में 7.10.1905 में सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वतंत्रता संघर्ष का शंख बजा दिया। ब्रिटेन पहुंचकर लंदन की लाइब्रेरी में विनायक ने ब्रिटिश सरकार के गुप्त पत्र पढ़े और मात्र एक वर्ष में 1857 का 'क्रांति ग्रंथ लिखकर दुनिया को बता दिया कि भारत में 1857 का गदर नहीं, अपितु स्वतंत्रता संघर्ष था। ब्रिटेन में छपने नहीं दिया गया तो विदेशों में छपा। सावरकर का यह प्रथम क्रांति ग्रंथ था, जिस पर स्वतंत्रता संघर्ष की नींव पड़ी। नेता सुभाष ने आजाद हिंद फौज को यही ग्रंथ पढ़वाया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के घर छापे में पुलिस को यही ग्रंथ मिलता था। भगत सिंह ने इसे छपवाकर बांटा था। 1909 में सावरकर को पता चला कि उनका एकमात्र पुत्र प्रभाकर संसार छोड़ गया है। ऐसे में पुत्र वियोग और पत्नी पर वज्रपात की पीड़ा को शिव बनकर विषपान किया और स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ते रहे- कोई महात्मा ही विपत्ति में इतना धैर्य रख सकता है। 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली को यमपुरी भेज दिया। 3 जुलाई को अंग्रेज-भक्त भारतीयों ने शोक सभा की, उसमें सर आगा खां ने कहा, 'यह सभा इस हत्या के लिए ढींगरा की सर्वसम्मति से निंदा करती है। तभी भारतीय शेर सावरकर गरज उठे- एक्सेप्ट मी मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं निंदा नहीं करता। अंग्रेजों के घर में अंग्रेजों की हत्या का भरी सभा में समर्थन करने वाले महामानव सावरकर एक वीर से बढ़कर महावीर थे। 21 दिसंबर 1909 में 16 वर्षीय कान्हेरे ने नासिक में कलेक्टर जैक्सन को मार डाला। वह पिस्टल लंदन से सावरकर ने भिजवाई थी। लंदन विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर 13 मार्च 1910 में सावरकर को गिरफ्तार करके 19 जून 1910 में मोरिया जहाज में बिठाकर सजा दिलवाने भारत के लिए रवाना कर दिया। 1 जुलाई 1910 में जहाज ब्रिटेन से आगे बढ़ा, 8 जुलाई 1910 को जहाज फ्रांस के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था तब सावरकर एक खिड़की को तोड़कर अथाह समुद्र में कूद गए। संसार में पहली बार किसी देशभक्त ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, समुद्र में आजादी की जंग मारी। इससे पहले हनुमान जी ने माता सीता को बंधन मुक्त करने के लिए दूसरी बार सावरकर ने भारत माता को मुक्त करवाने हेतु समुद्र में छलांग लगाई। भारत में लाकर सावरकर पर 15 दिसंबर 1910 में मुकदमा शुरू हुआ, मात्र 9 दिन में आजीवन कारावास की सजा 24.12.1910 में सुना दी गई। जैक्सन हत्याकांड में दूसरा मुकदमा 23 जनवरी 1911 में चला मात्र 7 दिन में 30 जनवरी को फिर आजीवन कैद की सजा सुना दी। कोई साधारण व्यक्ति होता तो दो जन्मों की सजा सुनकर बेहोश हो जाता, शायद फिर होश में न आता। परंतु दो जन्मों की सजा सुनकर भी महामानव वीर सावरकर हंसकर बोले- (इतिहासकार शिवकुमार गोयल पिलखुवा के अनुसार)-'चलो, ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को तो मान लिया। इसीलिए सावरकर अति वीर महावीर थे। 4 जुलाई 1911 में सावरकर को कालापानी की कुख्यात काली जेल में प्रवेश करते ही जेलर ने कहा-वेल सावरकर, तुमको 50 वर्षों में हमारी हुकूमत छोड़ देगी। सावरकर ने पूछा-क्या तब तक तुम्हारी हुकूमत रहेगी। जेलर का मुंह उतर गया। क्रांतिवीर सावरकर ने जेल में 10 वर्षों तक बिना थके, बिना झुके, बिना रुके भारत माता की परिक्रमा समझकर कोल्हू चलाया। सावरकर से अंग्रेज फिर डर गए, उन्हें 3 वर्ष कोलकाता जेल में रखा, फिर 6 जनवरी 1924 में रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया। वहां उन्होंने हिंदुत्व पर खूब लिखा, धर्मांतरण को रोका, शुद्धि आंदोलन को बढ़ावा दिया। अछूतोद्धार करते हुए उन्होंने उनके साथ बैठकर भोजन किया, उनके बच्चों को समारोह पूर्वक जनेऊ पहनाया, पर इसका श्रेय भी किसी और को दिया गया। जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और पूरे भारत में यात्रा की, तो हिंदुओं में सोया हुआ हिंदुत्व जाग उठा। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते थे, तो वे बैरिस्टर सावरकर से अवश्य मिलते थे। उन्हें लगता था कि आजाद भारत में प्रजातंत्र सरकार वोट से ही बनेगी। भारत में हिंदुओं का बहुमत है हिंदुओं के सर्वमान्य नेता वीर सावरकर ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए वे सावरकर से मिलते थे। बंटवारे से पहले के हिंदी के अखबार देख लें। जब से भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने हमले शुरू किए थे तभी से हिंदू अपने देश और धर्म को बचाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे।

धर्मशाला नहीं है भारत

राजनीति राष्ट्र के लिए होती है न कि राष्ट्र राजनीति के लिए। राजनीति जब परमार्थ के लिए हो तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। जब राजनीति स्वार्थों के लिए होने लगती है तो वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने लगती है। यह भारत की विडम्बना ही रही कि सत्ता लोभी राजनीतिज्ञों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इस राष्ट्र को धर्मशाला बना दिया। कौन नहीं जानता कि बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के कारण पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार में जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर आदि कुछ जिले मुस्लिम बहुल हो गए। असम की स्थिति अत्यंत विस्फोटक बनी। अवैध घुसपैठ के कारण ही पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा में भी यही स्थिति है। घुसपैठिये जनप्रतिनिधियों के भाग्य विधाता कैसे बने यह बात अब कोई रहस्य नहीं रही। भारत में एनएच-44 की लम्बाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4110 किलोमीटर है। करीब इतना लम्बा भारत-बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर लम्बा बॉर्डर है। यह सीमा जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 तक लगभग 4 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने राशनकार्ड और अन्य भारतीय पहचान पत्र हासिल किए हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुम्बई में इनकी संख्या लाखों में है, जो आए दिन न केवल राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपितु राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा बन चुके हैं। अवैध बांग्लादेशियों के अलावा म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी भी भारत के कई शहरों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा मुख्य चुनावी मुद्दा बना था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेन्दु अधिकारी और अन्य भाजपा नेताओं ने चुनावी रैलियों में ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल में एक-एक घुसपैठिये की पहचान कर उन्हें वापिस भेजा जाएगा। पिछले वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए चेतावनी दी थी कि अवैध घुसपैठिये हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। आदिवासियों की जमीन कब्जा रहे हैं और हमारी बेटियों को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान भावनात्मक नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गम्भीर संकेत था। जनसांख्यिकीय संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में यह भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिये सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इससे जातीय, अस्मिता, भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अपने एजेंडे पर अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य प्रवासियों के लिए सभी 23 जिलों में हिरासत केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पहला हिरासत केन्द्र मालदा में स्थापित कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी हिरासत केन्द्र स्थापित करने की तैयारी हो चुकी है। गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए पूर्ववर्ती ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने यह प्रक्रिया एक साल से रोक रखी थी। सरकार के आधिकारिक निर्देश के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में घुसे अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या अप्रवासियों की पहचान होने पर उन्हें निर्वासन तक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। जिलाधिकारियों को तत्काल ऐसे केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने 'बंग भवन' में मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार घुसपैठियों को कोई शरण, आर्थिक मदद, आवास, स्वास्थ्य सुविधा या कानूनी सहायता नहीं देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में अवैध अप्रवासन पर केंद्रीय कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2 मई 2025 की अधिसूचना के आधार पर जारी किया गया है। सुधार गृहों से रिहा विदेशी नागरिकों को भी आगे की कार्रवाई तक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। दोषी पाए गए घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। बीएसएफ बाद में इनकी निर्वासन प्रक्रिया पूरी करेगा। कई घुसपैठिये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। कट्टरपंथी आतंकी संगठनों से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। देश में कई हिंसक वारदातों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। दिल्ली, गोरखपुर और कई अन्य जगह हुए बम धमाकों में बंगलादेशी घुसपैठियों का सीधा हाथ होने के सबूत मिल चुके हैं। अब जबकि शुभेन्दु अधिकारी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है तो राज्य में आव्रजन नागरिकता और मानवाधिकारों को लेकर तीखी राजनीतिक बहस शुरू होने की आशंका है। विपक्षी दलों ने पहले ही इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शुभेन्दु सरकार को अवैध घुसपैठियों के निर्वासन के मामलों को बहुत ही सतर्कता से निपटना होगा, ताकि कोई निर्दोष इसका शिकार न बन जाए। एक मामले में दिल्ली से पकड़े गए एक मजूर को अवैध बांग्लादेशी बताकर उसके परिवार को बांग्लादेश भेज दिया गया था। बाद में यह मामला पूरी तरह से उलट गया और अब उस परिवार को वापिस बुलाया जा रहा है। राज्य सरकार को हिरासत केन्द्रों में सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा, ताकि लोग अवैध रूप से प्रवेश करने या संदेह में गिरफ्तार किए गए हैं उनके मानवाधिकारों पर कोई चोट न पहुंचे। अगर वे अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं तो उन्हें वापिस भेजा जाना ही उचित कदम है।

सम्पादकीय...

कॉकरोच....

बीते दिनों दो शब्दों की बड़ी धूम रही, एक है कॉकरोच, हिंदी में बोले तो तिलचट्टा और दूसरा शब्द है मेलोडी। दोनों ही शब्दों की धूम इतनी गजब की रही कि मुझे लगा कि इस सप्ताह क्यों न इसी पर आप से बातचीत की जाए, दोनों शब्दों का संदर्भ तो आपको पता ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक मामले में सुनवाई के दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त करने के उद्देश्य से कॉकरोच का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने इसे दिल पर ले लिया और इसे देश के युवाओं से जोड़ दिया। हालांकि चीफ जस्टिस ने तत्काल कहा कि उनका वो मकसद नहीं था, मगर ऐसी बातों को यदि कोई दिलजला अपने दिल पर ले ले तो खुराफात की आशंकाएं स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती हैं तो ऐसे ही एक सज्जन अभिजीत दीपके ने आनन-फानन में कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर लिया। यह वैधानिक राजनीतिक पार्टी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर धूम मच गई। करोड़ों फॉलोवर्स मिल गए। अब कहा जा रहा है कि ये बैन हो गया है, मेरा मानना है कि इस तरह की हरकतें कोई पहली बार नहीं हुई हैं। इंटरनेट की हवाई उड़ान और उसे औंधे मुंह गिरते देखने में कुछ भी नया नहीं है। इस देश में उभरे कई आंदोलनों का भी वक्त के साथ नामोनिशान मिट गया, गुजरात के हार्दिक पटेल याद हैं आपको? राजनीति उन्हें घोल कर पी गई। ज्यादातर लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि जनाब आजकल कर क्या रहे हैं? बस आपकी याद के लिए बता दें कि वे गुजरात के वीरमगाम से भाजपा के विधायक हैं। केवल गुजरात ही नहीं, असम, पंजाब और अन्य कई राज्यों में कई आंदोलनों की दुर्गति सब ने देखी है। चलिए, अब फिर से लौट कर कॉकरोच पर आते हैं और इसकी कुछ खासियत बताते हैं, कॉकरोच ऐसा प्राचीन और लचीला जीव है जो डायनासोर के समय से यानी कम से कम 35 करोड़ वर्षों से धरती पर मौजूद है। यह बिना सिर के भी हफ्तों जिंदा रह सकता है, 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है और पानी के नीचे आधे घंटे से अधिक समय तक जिंदा रह सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रलय भी आ जाए तो भी यह बचा रहेगा। जाहिर है कि ऐसी प्रतिभा किसी भी और जीव में नहीं होती है लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इतने प्रतिभावान जीव को किसी ने पाला हो? मैं हर जीव की इज्जत करता हूं लेकिन इस सच्चाई को तो बयान करना ही होगा कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग कॉकरोच को देखते ही उसे खत्म करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए, जर्मनी में बैठकर जब ध्रुव राठी जैसे लोग कहते हैं कि कॉकरोच इन बैक और छप्पन इंच का सीना डर गया है तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि इसके पीछे की मंशा क्या है? बड़ी सामान्य सी समझ वाले व्यक्ति के मन में भी यह सवाल पैदा हो सकता है कि कहीं ऐसी हरकतों के पीछे वो अदृश्य खुफिया एजेंसियां तो नहीं हैं जो भारत की आर्थिक तरक्की के कारण जल-भुन कर खाक हुई जा रही हैं? जो लोग ये मंसूबा पाले बैठे हैं कि भारत के जेन-जी से नेपाल और बांग्लादेश जैसा व्यवहार करा लेंगे, वे मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हमारे भारत में वह जेन-जी हो या फिर जेन अल्फा हो, बहुत समझदार है।

अलीगढ़ के शेखा पक्षी विहार को रामसर स्थल का दर्जा मिलने से जनपदों के आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को मिली नई गति

यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की दीर्घकालिक रणनीतियों, प्रभावी कार्ययोजनाओं और सतत विकास के प्रति उसकी प्रशासनिक गंभीरता को रेखांकित करती है। इस नीतिगत सफलता ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सजग राज्य के रूप में स्थापित किया है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमियों की भूमिका अत्यंत अनमोल और बहुआयामी मानी जाती है। ये जलीय क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सहजता से करते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र हजारों मील दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित शीतकालीन आवास प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीण समुदायों की आजीविका का सुदृढ़ आधार बनते हैं। इन्हीं अनुपम विशेषताओं के कारण वैश्विक स्तर पर ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हुए अभिसमय के तहत दुनिया की विशिष्ट आर्द्रभूमियों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रतिमान बदलते दिख रहे हैं। हाल के वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों ने न केवल राज्य के पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ किया है बल्कि जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास की नई राहें भी खोली हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ के शेखा पक्षी विहार को प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटनाक्रम माना जा रहा है। यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की दीर्घकालिक रणनीतियों, प्रभावी कार्ययोजनाओं और सतत विकास के प्रति उसकी प्रशासनिक गंभीरता को रेखांकित करती है। इस नीतिगत सफलता ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सजग राज्य के रूप में स्थापित किया है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमियों की भूमिका अत्यंत अनमोल और बहुआयामी मानी जाती है। ये जलीय क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सहजता से करते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र हजारों मील दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित शीतकालीन आवास प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीण समुदायों की आजीविका का सुदृढ़ आधार बनते हैं। इन्हीं अनुपम विशेषताओं के कारण वैश्विक स्तर पर ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हुए अभिसमय के तहत दुनिया की विशिष्ट आर्द्रभूमियों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कार्य करते हुए पिछले कुछ वर्षों में धरातल पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अलीगढ़ के शेखा पक्षी विहार को यह वैश्विक दर्जा मिलने के साथ ही अब राज्य में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं, जो प्रदेश को पूरे देश में आर्द्रभूमियों की संख्या के मामले में दूसरे पायदान पर खड़ा करते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन 12 स्थलों में से 11 को पिछले नौ वर्षों के भीतर ही यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। यह तीव्र प्रगति दर्शाती है कि प्रदेश सरकार ने इस संवेदनशील क्षेत्र में कितनी योजनाबद्ध और प्रभावी कार्यप्रणाली के साथ काम किया है। प्रशासनिक गतिशीलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2026 में जनपद एटा स्थित पटना पक्षी विहार को रामसर स्थल घोषित किए जाने के ठीक दो महीने बाद अप्रैल 2026 में अलीगढ़ के शेखा पक्षी विहार को भी यह अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हो गया। इतनी अल्प अवधि में दो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को वैश्विक मानचित्र पर लाना प्रदेश सरकार की तीव्र निर्णय क्षमता और जिला प्रशासन के जमीनी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों में अपर गंगा रिवर, नवाबगंज, सरसई नावर, समसपुर, सांडी, समन, पार्वती अरगा, सुर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा, पटना और शेखा पक्षी विहार शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 39,914 हेक्टेयर है। इस विशाल हरित क्षेत्र का संरक्षण सीधे तौर पर संबंधित जनपदों की ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है। रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के बाद इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म यानी पारिस्थितिकी पर्यटन की असीम संभावनाएं जागृत हो गई हैं। देश-विदेश से आने वाले शोधकर्ता, प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक इन स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गाइड, होमस्टे, परिवहन और हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीण युवाओं और छोटे उद्यमियों को सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे संपूर्ण क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है। इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं को इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों से जोड़कर जनपदों के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार की है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के माध्यम से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराकर प्रत्येक साइट के लिए विशेष प्रबंधन योजनाएं लागू की गई हैं।

''नमामि गंगे'' और ''राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम'' के तहत इन जलाशयों के जीर्णोद्धार और गाद सफाई का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है। इन योजनाओं के मुख्य लाभार्थी वे स्थानीय मछुआरे, किसान और पशुपालक समुदाय हैं, जिनकी आजीविका सदियों से इन जल स्रोतों पर निर्भर रही है। जल की गुणवत्ता सुधरने से मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही ''उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति'' के अंतर्गत इन रामसर साइट्स के आस-पास बुनियादी ढांचे का विकास कर जिला प्रशासन जनपदों के आर्थिक ढांचे को बदल रहा है। पक्षी विहारों के आस-पास वॉच टॉवर, व्याख्या केंद्र और सुगम रास्तों का निर्माण कराया गया है ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। इस बुनियादी ढांचे के विकास से स्थानीय गाइडों और छोटे दुकानदारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। ''एक जनपद एक उत्पाद'' (ओडीओपी) योजना के तहत आर्द्रभूमियों के आस-पास रहने वाले हस्तशिल्पियों को भी पर्यटकों के माध्यम से एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पारंपरिक स्थानीय कलाओं को नया जीवन मिला है और जनपदों के घरेलू उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। पर्यावरण और रोजगार के इस अनूठे संगम में स्थानीय समुदायों की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरी है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर इन क्षेत्रों के निवासियों को ''आर्द्रभूमि मित्र'' के रूप में संगठित किया है। इन स्थानीय मित्रों और स्वयंसेवकों को जलाशयों की सुरक्षा तथा पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इस जन-भागीदारी से न केवल वन्यजीवों को सुरक्षा मिली है, बल्कि स्थानीय युवाओं में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की एक नई चेतना का संचार हुआ है जो दीर्घकालिक संरक्षण की नींव है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 12 रामसर स्थल जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में राज्य के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रहे हैं। ये विशाल आर्द्रभूमियां भारी मात्रा में कार्बन को सोखकर ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को नियंत्रित करती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर तापमान संतुलित रहता है। भूजल स्तर में सुधार होने से इन क्षेत्रों के आस-पास के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। जिससे कृषि लागत में कमी आई है और फसलों की उत्पादकता में सुधार हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण सीधे तौर पर कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास का माध्यम बन गया है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार इस संरक्षण नीति को और अधिक विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके तहत राज्य की अन्य महत्वपूर्ण जल संरचनाओं को भी चिन्हित कर उन्हें वैश्विक मानचित्र पर लाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अलीगढ़ के शेखा पक्षी विहार विकास और प्रकृति के बीच स्थापित यह व्यावहारिक संतुलन उत्तर प्रदेश को सतत विकास का एक अनुकरणीय मॉडल बनाता है, जहां प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों के सर्वांगीण विकास को निरंतर सुनिश्चित कर रही हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीज़ों को मिल रहा बेहतर उपचार

प्रदेश में राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज लखनऊ के पुराने भवन में स्व0 हकीम अब्दुल अजीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना की गयी है। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के परिसर में यूनानी औषधि की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। राजकीय यूनानी चिकित्सालय 15 बेड मौदहा हमीरपुर के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर संचालित किया गया है। प्रदेश में राजकीय यूनानी डिस्पेंसरी चिकित्सालयों की संख्या 256 एवं दो चिकित्सालय राजकीय यूनानी महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित है। जिनके माध्यम से जन मानस को यूनानी विधा के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में यूनानी विधा के पारंगत एवं अनुभवी चिकित्सकों को तैयार करने के लिए प्रदेश में दो यूनानी महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में एवं 10 यूनानी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। इन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षा ग्रहण करके यूनानी विधा के अच्छे चिकित्सक के रूप में जनता की सेवा कर रहे है।

प्रदेश के सभी नागरिकों को रोगों के निदान की सभी चिकित्सा पद्धतियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार लगातार मरीजों का उपचार कर रही है। आमजन को इलाज मिलता रहे इसलिए प्रदेश सरकार ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित किया है। प्रदेश सरकार आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर निरन्तर कार्य कर रही है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति केवल रोगों के उपचार के साथ-साथ प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है। वर्तमान समय में जब स्वस्थ जीवन शैली और रोग निवारण का महत्व निरन्तर बढ़ रहा है, तब इसकी उपयोगिता और भी प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में गंभीर एवं दीर्घकालीन रोगों का उपचार भी सम्भव हो रहा है प्रदेश सरकार ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की है। प्रदेश में 1585 राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी /चिकित्सालय है। इसके अलावा 9 अस्पताल राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित है। जिसके माध्यम से जन सामान्य को होम्योपैथिक विधा के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। होम्योपैथिक विधा के पारंगत एवं अनुभवी चिकित्सकों को तैयार करने के लिए प्रदेश में 9 होम्योपैथिक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में एवं 4 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। इन महाविद्यालयों में नीट चयन परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन होता है जिसकी मेरिट आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की जाती है। जिसके आधार पर राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सीट का आवंटन किया जाता है। प्रदेश में जनता को आयुष पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश के नौ विधानसभा क्षेत्रों में बेली कैम्प जनपद बरेली, लखीमपुर, जनपद खीरी तिलोई जनपद अमेठी, बिठूर जनपद कानपुरनगर, महोबा जनपद महोबा, नरैनी, जनपद बांदा, मानिकपुर जनपद चित्रकूट, पडौना जनपद कुशीनगर एवं भदोही जनपद भदोही में चिकित्सालयों की स्थापना हेतु की गयी घोषणा के क्रम में उक्त स्थानों पर चिकित्सालय भवनों का निर्माण कराते हुए चिकित्सीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो गया। प्रदेश में होम्योपैथिक विधा को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु छात्र/छात्राओं को होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से आयुष मिशन के माध्यम से जनपद वाराणसी में एक नये राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किये जाने की योजना है। इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में होम्योपैथिक महाविद्यालयों में मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास तेजी से कराया जा रहा है। राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में छात्रावास के निर्माण को पूर्ण कराते हुए उपयोग में लाया जा रहा है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोरखपुर में महिला एवं पुरुष छात्रावास, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अलीगढ़ में महिला एवं पुरुष, छात्रावास, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज आजमगढ़ में महिला एवं पुरुष छात्रावास तथा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गाजीपुर में पुरुष छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन मेडिकल कालेजों के छात्रावास के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने पर छात्र/छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और चिकित्सा शिक्षा का वातावरण और अधिक सुदृढ़ होगा। होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों से शिक्षा प्राप्त कर छात्र-छात्राएं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा में आम जनता के प्रति बेहतर सेवाभाव से इलाज करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्येय है कि प्रदेश के हर क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक सुलभ, सस्ती एवं प्रभावी चिकित्सा सेवाएं पहुंचे। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार से आमजन को बेहतर उपचार सुविधा मिल रही है। आयुष सेवाओं की मूलभूत सुविधाओं के विकास से जनस्वास्थ्य को मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश की पावन धरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से ज्ञान और चिकित्सा पद्धतियों की संगम स्थली रही है। वर्तमान सरकार के गत 09 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश ने अपनी पुरातन चिकित्सा पद्धतियों को न केवल सहेजा है, बल्कि उन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक नई दिशा प्रदान की है।

प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे में एक मौन क्रांति आई है, जिसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति का पुनरुद्धार विशेष रूप से हुआ है। वर्ष 2017 से 2026 तक का समय यूनानी चिकित्सा के लिए स्वर्ण युग के समान सिद्ध हुआ है, जहां केवल एक वैकल्पिक उपचार के रूप में नहीं बल्कि मुख्यधारा की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के रूप में स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार की दूरगामी दृष्टि का परिणाम है कि आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में यूनानी दवाओं और उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। जिससे आम जनमानस का इस प्राचीन पद्धति पर विश्वास गहरा हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती अनिवार्य होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वास्तविकता को समझते हुए यूनानी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार किए हैं। राज्य के विभिन्न जनपदों में नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और पुराने केन्द्रों का कायाकल्प इसका जीवंत प्रमाण है। विशेष रूप से कुशीनगर जैसे क्षेत्रों में नए यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शिक्षा और उपचार के नए द्वार खोल रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों में केंद्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों का अन्य इकाइयों की स्थापना ने उत्तर प्रदेश को यूनानी चिकित्सा के राष्ट्रीय मानचित्र पर एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभार दिया है। यह केंद्र न केवल उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि जटिल रोगों पर निरंतर शोध के माध्यम से चिकित्सा जगत को नई दिशा भी दे रहे हैं। प्रदेश में राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज लखनऊ के पुराने भवन में स्व0 हकीम अब्दुल अजीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना की गयी है। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के परिसर में यूनानी औषधि की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। राजकीय यूनानी चिकित्सालय 15 बेड मौदहा हमीरपुर के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर संचालित किया गया है। प्रदेश में राजकीय यूनानी डिस्पेंसरी चिकित्सालयों की संख्या 256 एवं दो चिकित्सालय राजकीय यूनानी महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित है। जिनके माध्यम से जन मानस को यूनानी विधा के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में यूनानी विधा के पारंगत एवं अनुभवी चिकित्सकों को तैयार करने के लिए प्रदेश में दो यूनानी महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में एवं 10 यूनानी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। इन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षा ग्रहण करके यूनानी विधा के अच्छे चिकित्सक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। यूनानी चिकित्सा के प्रति आमजन

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने चन्दन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/00882)

सफाई कर्मी से मारपीट व अभद्रता का आरोप, थाने में दी तहरीर

बकरीद की सफाई व्यवस्था के दौरान हुआ विवाद, कार्रवाई की मांग

भटनी देवरिया।

थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरहेचौरा में बकरीद पर्व को लेकर मस्जिद परिसर में चल रहे साफ-सफाई कार्य के दौरान सफाई कर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित सफाई कर्मी ने थाना भटनी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भरहेचौरा के राजस्व ग्राम चन्दौली में तैनात सफाई कर्मी नन्दलाल बासफोर ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बुधवार को बकरीद पर्व के मद्देनजर मस्जिद के पास साफ-सफाई कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान गांव निवासी एक व्यक्ति वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोप है कि उन्होंने कुदाल के हत्थे से हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद अन्य सफाई कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बताया गया कि मौके पर सफाई व्यवस्था में संतोष कुमार, कमलेश कुमार यादव, नन्दलाल बासफोर, संजय कुमार, सुशील कुमार, विद्यावती देवी, ममता देवी तथा शिवशंकर बासफोर सहित अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे।

ग्रापए संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की मनी पुण्यतिथि

कुशीनगर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की 39 वी पुण्यतिथि कुशीनगर जनपद के सभी तहसीलों व ब्लाक इकाईयों के द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गयी। ग्रापए तहसील पडरौना का कार्यक्रम नपा परिसर के सामागार में हुआ। बाबू बालेश्वर लाल के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी ,जिला अध्यक्ष शैलेश उपाध्याय ,मण्डलीय मंत्री प्रभुनाथ गुप्त, जिला महासचिव अमरनाथ पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष मुकेशनाथ तिवारी, कोषाध्यक्ष सुधीर पाण्डेय, तहसील अध्यक्ष हरिशंकर चौबे, अशोक लाल श्रीवास्तव,मनोज पासवान ,श्रीप्रकाश तिवारी,प्रदुम्मन दुबे ओमप्रकाश पाण्डेय, अजीत यादव, उपेन्द्र मिश्र आदि रहे। ग्रापए तहसील इकाई तमकुहीराज तहसील इकाई ने ग्रापए के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल जी की पुण्यतिथि मनाई गयी। इस अवसर पर मंडल महामंत्री अजय कुमार सिंह ,जिला उपाध्यक्ष पारसनाथ पांडेय ,महामंत्री अंजनी सिंह, जिला संगठन मंत्री मनोज मिश्रा, आदि मौजूद रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील ईकाई कसानगंज द्वारा रामकोला में बाबू बालेश्वरलाल की पुण्य तिथि मनाई गयी। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष फरेन्द्र पाण्डेय, ब्लाक प्रभारी राजीव गुप्ता, मोहन राव,दिग्विजय वर्मा, सुभाष गौतम,सोनू यादव ,जितेन्द्र पाण्डेय आदि उपस्थित रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील ईकाई हाटा ईकाई के द्वारा बाबू बालेश्वर लाल जी, 39 वीं पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी । इस अवसर पर रामरेखा सिंह, विद्यासागर सिंह, मह्मंत्री रणजीत सिंह,सत्यानंद मिश्र, पप्पू मिश्र, विनोद श्रीवास्तव आदि रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील ईकाई कसया ईकाई के द्वारा ग्रापए कसया तहसील अध्यक्ष कृष्ण मोहन पाण्डेय की अध्यक्षता में बाबू बंशराज सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल सखवनिया में आयोजित हुई। इस अवसर पर महासचिव डा,फैजुल हक, अशोक सिंह , रामचंद कुशवाहा, रामश्रय कन्नौजिया आदि रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील ईकाई खड्डा ईकाई के द्वारा ग्रापए संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि मनाई गयी।

पांच साल के कार्यकाल पर बोले विकास प्रताप शाही

भटनी देवरिया।

ग्राम पंचायत साहेपार के प्रधान प्रतिनिधि विकास प्रताप शाही ने अपने पांच वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर ग्रामवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गांव की जनता ने पांच वर्ष पूर्व जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, उसे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान बिना किसी भेदभाव के गांव के सभी वर्गों तक विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। सड़क, नाली, आवास, स्वच्छता समेत कई विकास कार्य कराए गए, जबकि कुछ कार्य अभी भी शेष हैं, जिन्हें आगे पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा। विकास प्रताप शाही ने कहा कि ग्रामसभा में विकास कार्यों को शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाने में जनता के साथ-साथ विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिला। उन्होंने गांव की जनता के प्रेम और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि साहेपार की जनता का स्नेह उनके परिवार को वर्षों से मिलता आ रहा है और आगे भी गांव की सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे।

साहेपार की जनता के प्यार और सहयोग के लिए जताया आभार

बकरीद को लेकर सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी- भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का परखा मिजाज

देवरिया।

त्योहार के दृष्टिगत शांति, कानून-व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद
स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से सीधा संवाद कर सुरक्षा का दिलाया भरोसा

त्योहार बकरीद के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा, आपसी सौहार्द और कानून-व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आम नागरिकों के भीतर सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने संयुक्त रूप से प्रशासनिक अमले और भारी पुलिस बल के साथ थाना सलेमपुर क्षेत्र के कस्बा सलेमपुर सहित विभिन्न प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त किया।

इस संयुक्त रूट मार्च के जरिए आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का गहनता से जायजा लिया। इस फ्लैग मार्च के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने केवल सड़कों पर चक्रमण ही नहीं किया, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों, महिलाओं, युवाओं और आम राहगीरों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं और सुरक्षा से जुड़े उनके सुझावों को अत्यंत संजीदगी से सुना। जिलाधिकारी ने आम जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामान्य दिनों के साथ-साथ त्योहार की अवधि में भी यदि किसी तत्व ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असामाजिक गतिविधि करने का प्रयास किया, तो उसके विरुद्ध बेहद कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से कहा कि यदि उन्हें अपने आस-पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु या असामान्य गतिविधि दिखाई दे, तो इसकी सूचना बिना किसी देरी के तत्काल स्थानीय पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी और सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों ने सलेमपुर के चप्पे-चप्पे की सुरक्षा स्थिति को परखते हुए क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि सभी संवेदनशील और प्रमुख पिकेट पॉइंट पर पर्याप्त पुलिस बल की मुस्तैदी सुनिश्चित की जाए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि वे पूरी सतर्कता, कड़े अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन करें। इस महत्वपूर्ण पैदल गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार और थानाध्यक्ष सलेमपुर दिनेश कुमार मिश्र सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मुस्तैद रहे।

शिक्षा से ही आत्मनिर्भर बनेंगी बेटियां - अवधेश

पटहेरवा कुशीनगर ।

- सबक एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित
- कलम, डायरी, बैग व अंगवस्त्र देकर छात्राओं का बढ़ाया उत्साह

फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के सपही बुजुर्ग में सबक एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मेधावी छात्राओं को कलम, डायरी, बैग व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्राओं को आगे बढ़कर समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अवधेश सिंह ने कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है, जो समाज को नई दिशा देती है। बेटियों को शिक्षित बनाकर ही मजबूत व विकसित समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज की छात्राएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। जरूरत है कि उन्हें बेहतर अवसर व प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य डा. इरफान अहमद ने कहा कि शिक्षा समाज व राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने छात्राओं को मेहनत व लगन के साथ अध्ययन कर सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि शिक्षित बेटियां ही आने वाले समय में देश की प्रगति की मजबूत नींव बनेंगी। आयोजक फिरोज अंसारी ने सभी अतिथियों व प्रतिभागियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना व मेधावी छात्राओं का उत्साहवर्धन करना है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन सपा जिला सचिव नौशाद अहमद ने किया। इस दौरान ग्राम प्रधान परशुराम सिंह,ग्राम प्रधान महेश चौधरी, पूर्व प्रधान अनिल राय,अमलेश यादव, वकील अहमद, गफ्फार अंसारी, महमूद हसन, आशिक अंसारी, अनवर अंसारी, जावेद अख्तर ,व शाहबुद्दीन अंसारी आदि उपस्थित रहे।

दबंगों ने घास काट रही युवती को पीटा मारपीट का वीडियो वायरल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में 23 मई की दोपहर बाद एक युवती केसाथ दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, युवती अपनी सहेलियों के साथ मवेशियों के लिए घास काटने सरेह में गई थी, तभी गाँव के ही तीन युवकों ने उस पर जबरन मोबाइल नंबर देने का दबाव बनाया।युवती द्वारा इसका विरोध करने पर युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं,जब पीड़िता की सहेलियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, तो आरोपितों ने उनके साथ भी अभद्रता की। युवकों ने इस मारपीट की घटना का वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौडे,जिसके बाद आरोपित वहाँ से फरार हो गए।घटना में घायल युवती का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया।मंगलवार की शाम पीड़िता की माँ ने पुलिस कोतहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक चंदभूषण प्रजापति ने बताया कि उन्हें तहरीरमिल गई है और मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन सिंडिकेट पर प्रशासन का प्रहार, बाईपास निर्माण कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना, 3 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी सीज

देवरिया। जनपद में प्रतिबंधित और बिना अनुमति संचालित हो रहे अवैध खनन के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने चौबीस घंटे के भीतर एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के कड़े रुख और स्पष्ट आदेश के बाद खनन तथा परिवहन विभाग ने मंगलवार और बुधवार को संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दो दिवसीय कार्रवाई के दौरान जहां अवैध मिट्टी खनन में संलिप्त एक बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म पर 5 लाख का भारी-भरकम आर्थिक दंड लगाया गया है, वहीं विभिन्न क्षेत्रों से तीन ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली और दो भारी-भरकम जेसीबी मशीनों को सीज कर संबंधित थानों की कस्टडी में दे दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हुई इस बड़ी कार्रवाई की जद में मुख्य रूप से देवरिया बाईपास प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म आई। लगातार मिल रही जनशिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी ने खनन विभाग को गहन जांच के आदेश दिए थे। निर्देशों के क्रम में मंगलवार को खनन निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा ने जब विभिन्न स्थलों पर स्थलीय पड़ताल की, तो

उक्त प्राइवेट लिमिटेड फर्म द्वारा बिना किसी विधिक अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी का खनन किए जाने की पुष्टि हुई। खनन निरीक्षक ने बताया कि संबंधित फर्म को प्रारंभिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक उत्तर और साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद फर्म पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया गया। इसके साथ ही उक्त फर्म की लाइसेंस को निरस्त करने की विधिक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को ही कार्रवाई करते हुए बनकटा और खुखुंदू थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हो रही दो जेसीबी मशीनों को अधिकारियों ने मौके पर पकड़ा और स्थानीय थानों को सौंप दिया। वहीं, बुधवार को भी इस कार्रवाई की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी। जिलाधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ आशुतोष शुक्ला और खनन निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में चली संयुक्त टीम ने बरियारपुर थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर अवैध और ओवरलोड मिट्टी का परिवहन कर रही दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा। जांच में अनियमितता पाए जाने पर दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। इसी क्रम में बरहज क्षेत्र में भी अवैध खनन कार्य में लगी एक अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज कर संबंधित थाने को सुपुर्द किया गया। जिलाधिकारी ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जनपद में अवैध खनन की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निगरानी करने और सघन अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यह अभियान लगातार चलाया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर वाहन सीज करने के साथ-साथ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि सरकारी राजस्व की क्षति को रोका जा सके।

राज्यसभा चुनाव ने बढ़ाई दलों की धड़कनें, क्रॉस वोटिंग का डर बना सबसे बड़ा संकट

नई दिल्ली। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। सबसे बड़ा डर क्रॉस वोटिंग को लेकर है, क्योंकि कई राज्यों में संख्या बल स्पष्ट नहीं होने के बावजूद पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में विधायकों की निष्ठा एक बार फिर बड़ी परीक्षा बनने जा रही है।

झारखंड में भाजपा का दांव

बीजेपी ने झारखंड में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। राज्य में दो सीटों पर चुनाव होना है और एक सीट जीतने के लिए 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत होगी। दूसरी ओर Jharkhand Mukti Morcha, कांग्रेस, राजद और माले के गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने लायक संख्या मानी जा रही है। बावजूद इसके भाजपा की एंट्री ने सियासी हलचल तेज कर दी है।

कांग्रेस विधायकों की निष्ठा पर नजर

पिछले राज्यसभा चुनावों में बिहार और ओडिशा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और विधायकों की गैरहाजिरी से झटका लग चुका है। बिहार में कुछ विधायकों ने मतदान से दूरी बनाई थी, जबकि ओडिशा में भी पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की खबरें सामने आई थीं। इसी वजह से इस बार कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने पर खास ध्यान दे रही है।

हरियाणा और मध्यप्रदेश में बढ़ा रोमांच

हरियाणा में विपक्षी खेमे के पास बहुमत का आंकड़ा तो है, लेकिन अगर कुछ विधायक टूटते हैं तो भाजपा को राह आसान हो सकती है। वहीं मध्यप्रदेश में तीन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। कांग्रेस के पास सीमित संख्या बल है, जबकि भाजपा अतिरिक्त वोटों के सहारे तीसरी सीट पर भी दांव लगाने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहां क्रॉस वोटिंग चुनाव का समीकरण बदल सकती है।

कर्नाटक और तमिलनाडु में भी समीकरण बदले

कर्नाटक में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda को समर्थन देने का फैसला किया है। यहां भी अगर विपक्षी विधायकों में टूट होती है तो भाजपा को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। तमिलनाडु में कांग्रेस को सहयोगी दल की ओर से सीट मिलने के संकेत हैं, जबकि गुजरात में पार्टी का प्रतिनिधित्व खत्म होने की आशंका जताई जा रही है।

क्रॉस वोटिंग बनी सबसे बड़ी चुनौती

राज्यसभा चुनाव में खुलकर बगावत भले कम दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे जोड़तोड़ और रणनीति तेज हो चुकी है। कई राज्यों में संख्या बल का गणित बेहद नाजुक है, ऐसे में एक-एक विधायक का वोट चुनाव परिणाम बदल सकता है। यही कारण है कि सभी दल अपने विधायकों को साधने में जुट गए हैं।

प्री-मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव

नई दिल्ली। तेज गर्मी से जूझ रहे देश के 80-90फीसदी हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री-मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है, क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। यहां 14 तय स्टेशनों में लगातार दो दिन 2.5 एमएम बारिश होने पर मानसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है। मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं, दक्षिण-मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से भी बादल कमजोर हुए हैं। यूरोप की मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स ने सैटेलाइट, समुद्री और वायुमंडलीय डेटा को मिलाकर भारत में 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। इसमें अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत हैं।

सुप्रीम कोर्ट बोला-एसआईआर अवैध नहीं

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कोई प्रक्रिया शुरुआत में भले ही भेदभावपूर्ण प्रतीत हो, लेकिन उचित सुरक्षा उपायों के जरिए उसे संवैधानिक रूप से अनुरूप बनाया जा सकता है। हम संतुष्ट हैं कि विवादित एसआईआर प्रक्रिया अनुपातिकता

■ चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है

■ निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार

की कसौटी पर खरी उतरती है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे। पीठ ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया

अपनाकर अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर काम किया। उसने कहा, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि विवादित प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई थी। इसके विपरीत, हम मानते हैं कि चुनावी एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक आवश्यकता को बल देता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया अपनाना आयोग का अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार है। उसने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतदाता सूचियों की शुचिता, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया तक सीमित नहीं होते। उच्चतम न्यायालय बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुना रहा था। याचिकाओं में दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उससे संबंधित नियमों के तहत निर्वाचन आयोग को इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है।

65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए

शीर्ष न्यायालय ने 29 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका भी शामिल थी। बिहार में एसआईआर अभियान का पहला चरण चलाया गया था। पिछले वर्ष 12 अगस्त को न्यायालय ने मामले में अंतिम बहस शुरू की थी और तब कहा था कि मतदाता सूची में नाम शामिल करना या हटाना निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए थे।

विजयन समर्थकों का ईडी टीम पर हमला -लाठी-पत्थर बरसाए, गाड़ी तोड़ी; पूर्व केरलम सीएम की बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

तिरुवनंतपुरम। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया। ईडी की 12 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम के क्लिफ हाउस/क्लिफ़ जंक्शन स्थित विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड करने पहुंची थी। यह विजयन का किराए वाला घर है। रेड के दौरान विजयन और उनका परिवार घर में मौजूद था। जैसे ही यह खबर फैली तो विजयन के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे। दोपहर करीब 2 बजे टीम बाहर निकली तो सीपीआई कार्यकर्ताओं को विजयन के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थर और बोतलें फेंकीं। कारों के शीशे तोड़ दिए गए और लाठी से भी हमला किया। वहीं, इस रेड को लेकर विजयन ने कहा- काफी समय से ईडी मेरे घर की तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ

लोगों को खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। ईडी ने यह रेड विजयन की बेटी टी वीणा की कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। वीणा की 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस' को कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड ने साल 2018-19 में 1.72 करोड़ मंथली पेमेंट के तौर पर दिए, लेकिन इसके बदले एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस ने कोई सर्विस नहीं दी। ईडी का मानना है कि यह लेन-देन संदिग्ध है। CMRL और एक्सालॉजिक के बीच हुए इस भुगतान को लेकर पहले इनकम टैक्स विभाग ने भी सवाल उठाए थे। बाद में इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। एक दिन पहले ही मंगलवार को इसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने CMRL की याचिका खारिज की, जिसमें CMRL ने ईडी की जांच रद्द कराने की मांग की थी। ईडी ने 2024 में आरोपों की जांच के लिए PMLA केस फाइल किया था। यह मुद्दा विजयन सरकार के सामने सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवादों में से एक रहा है। ईडी जांच के अलावा, इस मामले की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी कर रहा है।

ममता के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है, जिसमें 'गंदा धर्म' जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इस मामले पर ममता की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह शिकायत वकील रिकी चटर्जी सिंह ने की है। उनका कहना है कि बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। रिकी ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। रिकी के मुताबिक

2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप

उन्होंने 2025 में भी शिकायत करने की कोशिश की थी लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव और वकील अत्री शर्मा ने भी इस बयान को गलत बताया है। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर भी कई लोग इस टिप्पणी से सहमत नहीं थे और किसी को भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। ममता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के कई नियमों के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपों में क्रिमिनल धमकी के लिए सेक्शन 351(1) और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने के लिए सेक्शन 352 शामिल है। अधिकारियों ने सेक्शन 353(2) भी लगाया, जो अलग-अलग धार्मिक ग्रुप के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से जानकारी फैलाने पर सजा देता है। पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

मोदी-प्रधान की जोड़ी जवाबदेह- नीट छात्र प्रदीप के परिवार से मिले राहुल, पेपर लीक पर केंद्र को घेरा

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान के सीकर में आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदीप मेघवाल की मौत केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक टूटी हुई और भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पूरे मामले के लिए जवाबदेह ठहराया। दिल्ली स्थित एनएसयूआई कार्यालय में परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि देश के लाखों छात्र पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं।

ऐसे में जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो केवल परीक्षा ही नहीं टूटती, बल्कि छात्रों के सपने और पूरे परिवार की उम्मीदें बिखर जाती हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा -आज कुछ नीट अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा कि अब इस व्यवस्था पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था और उनके सब्र का बांध टूट चुका है। देश का युवा अब भ्रष्टाचार और बेरुखी को और बर्दाश्त नहीं करेगा।- उन्होंने आगे कहा कि प्रदीप मेघवाल जैसे होनहार छात्र की मौत ने देश की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था को माफियाओं के हवाले कर दिया गया है और जिम्मेदार लोग अब भी अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। पुलिस के अनुसार, राजस्थान के सीकर में रहने वाले छात्र प्रदीप मेघवाल ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के समय उनकी एक बहन कोचिंग क्लास गई हुई थी, जबकि दूसरी बहन बाथरूम में थी। प्रदीप ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दी थी। हालांकि, परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसी विवाद और मानसिक तनाव के बीच छात्र ने यह कदम उठाया। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है।

यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना असम, विधानसभा में विधेयक पास

गुवाहाटी (असम)। असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया। यह कानून धर्म से अलग सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिश्तों से जुड़े मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने के लिए लाया गया है। हालांकि, विपक्ष ने मांग की थी कि विधेयक को पहले विस्तृत चर्चा के लिए चयन समिति के पास भेजा जाए। असम समान नागरिक संहिता, 2026 विधेयक पर पूरे दिन चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से इसे सदन में पारित कराने के लिए पेश करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें विधेयक को अधिक विचार-विमर्श के लिए चयन समिति को भेजने की बात कही गई थी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन के बीच में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और विधेयक पारित होने तक विरोध जारी रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने शोर-शराबे के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कराया। इस दौरान सत्तापक्ष के सदस्य भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाते रहे। अध्यक्ष ने घोषणा की, मैं घोषणा करता हूं कि यह विधेयक पारित हो गया है। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया। विधेयक पारित होने के बाद सदन में जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया गया। असम सरकार ने सोमवार को यह विधेयक सदन में पेश किया था। इसका मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों जैसे निजी मामलों में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू करना है। विधेयक में बहुविवाह पर रोक लगाने और लिव-इन रिश्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल है। हालांकि, इस कानून को असम में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर लागू नहीं किया जाएगा। विधेयक में कई सख्त दंड का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें द्विविवाह या बहुविवाह के लिए सात साल तक की जेल और लिव-इन संबंध का पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक की सजा शामिल है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। वहीं, गोवा में पहले से ही एक समान नागरिक कानून लागू है, जो पुर्तगाली शासनकाल से चला आ रहा है।

ट्विशा केस- आरोपी समर्थ 29 तक सीबीआई रिमांड पर

रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई; जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

नई दिल्ली। भोपाल की ट्विशा शर्मा डेथ केस में जांच तेज हो गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी समर्थ को अपनी कस्टडी में ले लिया है. जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीम समर्थ को वापस कटारा हिल्स थाने लेकर जा रही है, जहां उससे आगे पूछताछ की जाएगी. इस कार्रवाई को केस में अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि एजेंसी अब घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और मौत के पीछे की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. जांच एजेंसियां समर्थ से घटना के दिन और उससे जुड़े सभी पहलुओं पर गहन पूछताछ कर रही है. इस बीच, जांच के दौरान समर्थ के व्यवहार और बयानों ने केस को और उलझा दिया है. सूत्रों के मुताबिक, जब एसआईटी टीम समर्थ को दस्तावेज लेने उसके घर लेकर पहुंची, तो वह फूट-फूटकर रोने लगा. अधिकारियों के सामने उसने कहा कि ट्विशा की मौत की 90फीसदी जांच घर तक सीमित है. अगर 10फीसदी बाहर भी देख लिया जाए तो पूरा सच सामने आ जाएगा. समर्थ ने ट्विशा के अंतिम संस्कार को लेकर भी दर्द जताया. उसने अधिकारियों से कहा, क्या मुझे उसका चेहरा आखिरी बार देखने का अधिकार नहीं था? बताया जा रहा है कि मौत के 13 दिन बाद पहली बार वह इस तरह भावुक नजर आया.

शांति समझौते का मसौदा पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत - व्हाइट हाउस

वॉशिंगटन।

ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर सामने आई रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी कथित मसौदे को अमेरिका ने पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत करार दिया है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक संचार मंच रैपिड रिस्पॉन्स 47 की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरानी मीडिया द्वारा प्रसारित यह रिपोर्ट सच नहीं है और कथित समझौता ज्ञापन पूरी तरह से झूठा है। बयान में कहा गया ईरान नियंत्रित मीडिया की यह रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने जो समझौता जारी किया है, वह पूरी तरह मनगढ़ंत है। किसी को भी ईरानी सरकारी मीडिया के दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तथ्य मायने रखते हैं।

ईरानी मीडिया ने क्या दावा किया था?

ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कथित समझौते के मसौदे में होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को एक महीने के भीतर बहाल करने का प्रस्ताव था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करेगा और नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इसके अलावा कहा गया कि इस व्यवस्था में सैन्य जहाज शामिल नहीं होंगे और ओमान के साथ समन्वय में ईरान जलडमरूमध्य में जहाजों की निगरानी करेगा। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि बिना ठोस सत्यापन के तेहरान कोई कदम नहीं उठाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में लागू किया जा सकता है। हालांकि, कथित मसौदे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं था।

■ ईरानी मीडिया द्वारा जारी कथित शांति समझौते के मसौदे को व्हाइट हाउस ने पूरी तरह फर्जी बताया है। रिपोर्ट में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और अमेरिकी सेना हटाने का दावा किया गया था।

परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं, डील पर ट्रंप का सख्त रुख

कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अब तक वह सफल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन आगे स्थिति बेहतर हो सकती है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका काम पूरा करने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका को कम आंकने की कोशिश की, लेकिन अब वास्तविकता अलग है। ट्रंप के अनुसार, ईरान की स्थिति ऐसी है कि वह मजबूरी में बातचीत की मेज पर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति

"रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करेगा और नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इसके अलावा कहा गया कि इस व्यवस्था में सैन्य जहाज शामिल नहीं होंगे और ओमान के साथ समन्वय में ईरान जलडमरूमध्य में जहाजों की निगरानी करेगा।

ने दोहराया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस मुद्दे पर कई देशों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान को परमाणु हथियार से रोकने की मांग मजबूत है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना कमजोर हो चुकी है और देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उनके अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और महंगाई बहुत अधिक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे उसकी मुद्रा का मूल्य लगातार गिर रहा है।

फिलहाल क्या है बातचीत की स्थिति?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को कहा था कि बातचीत को अंतिम रूप देने में अभी कई दिन लग सकते हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि समझौता जल्द हो सकता है। बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना और उसके नियंत्रण को लेकर बना हुआ है। यह दुनिया का बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा ईरान के परमाणु ढांचे को खत्म करने की मांग भी दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद बना हुआ है।

फिर बढ़ सकता है तनाव?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कैंप डेविड में अपनी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी। हालांकि राष्ट्रपति ने शनिवार को दावा किया था कि तेहरान के साथ एक सौदा करीब है, बातचीत अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि यदि बातचीत विफल होती है तो ईरान पर सैन्य हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। सोमवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान और क्षेत्र में नावों को निशाना बनाने वाले हमलों की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने कहा कि युद्धविराम अभी भी बना हुआ है।